



कार्यालय: राजकीय पॉलिटैक्निक महाविधालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura,Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

आजारीक
अमृत महोत्सव

खुली निविदा संख्या 01 /2022 - 23

निविदा की शर्तें

1 निविदाये मुहर लगे बन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से संख्या पर "जार्ड बेसेज (न्यूतम दो कार्मिक) पर सफाई कार्य हेतु निविदा" के लिये निविदा लिखा होगा, दिनांक 28.03.2023 को प्राप्त: 11:00 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। निविदा उक्त कार्यालय में या तो संचालित रूप पर नियमानुसार आमान्य होगी एवं संख्यान इसके लिये जिमेदार नहीं होगी। निविदा उक्त कार्यालय द्वाका दौरी से पहुंचने पर नियमानुसार आमान्य होगी एवं संख्यान इसके लिये जिमेदार जायेगी। निविदा समय व तारीख के बाद जो भी निविदाये प्राप्त होगी, उन्हें रद्द माना जायेगा। निविदाये उसी दिन प्राप्त: 11:30 बजे समिति या विवित प्राधिकृत किनी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए एवं इच्छादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के साथ खोली जायेगी जो उपरिद्य रहेंगे, प्रत्येक निविदा दो पृष्ठ पृष्ठ सीलन लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाही (कानीकी एवं वित्तीय)।

प्रथम लिफाफे पर संविदा पर जार्ड बेसेज (न्यूतम दो कार्मिक) पर सफाई कार्य हेतु तकनीकी अंकित करना होगा। जिसमें निम्न दस्तावेज रखे जाने-

- श्रम विभाग मे परियन का प्रमाण -पत्र
- उत्तराद शुल्क विभाग मे परियन का प्रमाण -पत्र
- अनुबम प्रमाण -पत्र व उससे संबंधित दस्तावेज़।
- कर्मचारी भविय निधि अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज बीमा अधिनियम, 1948
- वस्तु एवं सेवाकर (GST)
- आय कर (पेन नम्बर)
- घोरड राशि का ड्राइट / रसीद

दूसरे लिफाफे मे वित्तीय निविदा प्रत्युत की जायेगी। जिस पर साफ संविदा पर जार्ड बेसेज (न्यूतम दो कार्मिक) पर सफाई कार्य के लिए वित्तीय निविदा अंकित किया जाये। जिस पर साफ संविदा पर जार्ड बेसेज (न्यूतम दो कार्मिक) पर सफाई कार्य के लिए वित्तीय निविदा अंकित किया जाये तो निम्न लिफाफे मे निम्न दस्तावेज रख हस्ताक्षरित रखे जायें-

- निविदा प्रत्र जिसमे दर अंकित की जाये। दरे शब्दों एवं अंकों दोनों मे लिखी जायेगी। दरो मे कटिंग/ओवरराईटिंग आमान्य होंगी।
- निविदा की शर्तें जिस पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करे। प्रत्येक पृष्ठ पर रख हस्ताक्षरित कर सील अंकित करे।

2 न्यूतम मजदूरी (अधिनियम 1948, केन्द्रीय अधिनियम 11 दर्ज, 1948 एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय -समय पर संशोधित मानदेय) को अनुपालिक प्रावधानों की अनुपालिका का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

3 राजस्थान अनुवंशित श्रमिक (नियमन एवं उन्नलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविय निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की बोली मे भाग लेने हेतु अंतर होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, पूर्ण रूप से भर हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

4 यदि किसी उपापन संस्थान को अंशकालिक (पार्ट-टाईम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों मे स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा विड संबंधी कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाओं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी। उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूतम मजदूरी की गणना श्रमिक विभाग द्वारा समय-समय पर निविदा न्यूतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

5 संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का मुगातान की निविदा अनिवार्य रूप से भर हुई न्यूतम मजदूरी की 7 तारीख तक उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कर्ड गई राशि को विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

6 श्रम विभाग द्वारा नियारित न्यूतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

7 श्रमिकों को नियारित न्यूतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर चुंदि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

8 संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समरत श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटीती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के ऐटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि मे संबंधित वालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/विलों का भुगतान किया जायेगा।

11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/2023



कार्यालय: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura,Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

आजादी का
अमृत महोत्सव

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

- 9 संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर सुबना घट्ट लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों के हेतु हेल्पलाइन नंबर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा ।
- 10 राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 11 संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की राशि, अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के कर्मों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह तक विल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का जमा कराने के प्रयाण चलान की प्रति प्रत्युत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा उत्तर स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तराधित्य संवेदक का होगा ।
- 12 श्रम विधि के अन्तर्गत निवारित नियमों, उपनियमों व अविस्मरणीयों तथा केन्द्र/राज्य संस्कार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा । श्रम विधि के अन्तर्गत निवारित नियमों, उपनियमों, अविस्मरणीयों, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक संघर्ष उत्तराधारी होगा ।
- 13 यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिक के मध्य काई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकार्य की जिम्मेदारी संवेदक की होगी । इसके लिए उपापन संस्था का सकाम अधिकारी अनुचित नियमन एवं उन्मुक्त अधिनियम 1948 एवं गांधीराम 1970 एवं समय-समय पर संशोधित अधिनियम का उपयोग से तथा श्रमिकों के लिए सकाम होगा ।
- 14 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर दिये जाने पर ऑडिग्राम विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हठाने, कार्यमुक्त बेतन, छंटानी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तराधित्य संवेदक का होगा ।
- 15 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान, कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या युक्तिपूर्ति देने ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- 16 यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार नियारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संघर्ष में श्रम विभाग का अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को प्रतिविवित कराने की कार्यवाही करेगी ।
- 17 यदि किसी संस्था द्वारा की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर नियारित प्रतिशत में काई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त उपापन संस्था की न्यूनतम मजदूरी में सामिनित भुगतान नहीं करते हुए, इसे पूरक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा । उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सकाम स्वीकृत प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पूरक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा । उत्तरानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संघर्षित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संघर्षित संवेदक का होगा ।
- 18 निविदा प्रपत्र पर निविदादाता द्वारा सर हस्ताक्षर (मध्य सील) कर प्रत्युत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी ।
- 19 निविदा कोर्म स्थानी से भरा रखी गयी कोर्म निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा किसी भी प्रकार की काट छाँट होने पर स्व हस्ताक्षर तरीके से अंकित कराया होगा । निविदादाता निविदा के प्रत्येक प्रपत्र पर सर हस्ताक्षर (मध्य सील) करेगा । अन्त में निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रयाण में मोहर लगाते हुए स्व हस्ताक्षर करेगा ।
- 20 निविदा के साथ अनुचित राशि का 5 प्रतिशत रूपये में बचाना (प्रतिशूली) राशि प्रत्युत की जायेगी । इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- 21 सफल निविदादाता अपनी निविदा को या उसके किसी भाग को विस्तीर्ण अन्य को नहीं सौंपेगा ।
- 22 सफल निविदादाता को प्रतिशूली एवं निविदाता तथा कोर्म के अतिरिक्त इह कार्यालय की ओर से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा । प्रतिशूली विल महीने की 10 तारीख तक प्रत्युत करने पर मासी माह की 20 तारीख तक में किया जायेगा ।
- 23 असफल निविदादाता की बचाना (प्रतिशूली) राशि, तस्वीर निविदा को अंतिर्गत रूप से स्वीकार करने के बाद यथार्थशील लौटा दी जायेगी ।
- 24 सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से साथ दिवस की अवधि के भीतर नियारित प्रारंभ में एक करार-पत्र (जीएन.जुडिशल स्टार्ट अप) पर नियारित करना होगा तथा कुल सूचक या पैमाने पर स्वीकार करने के बाद राशि जमा करनी होगी । उक्त सार्वी पर किसी प्रकार का व्यापार विभाग द्वारा नहीं होगी ।
- 25 कार्य सम्पादन प्रतिशूली राशि को पूर्ण या आशिक रूप से समायोजित किया जा सकता, यदि निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया हो या कार्य संसाधनजनक ढंग से बताये रहते हो ।
- 26 करार-पत्रों को एवं उस पर स्टार्ट लगाने के बाय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा ।
- 27 निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी ।
- 28 निविदादाता स्वयं/उसके द्वारा लगाये गये कार्यक्रमों के संबंध में समस्त कानूनी दायित्वों/श्रम कानून के पालन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
- 29 उपापन समिति न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाय नहीं है तथा यह किसी भी निविदा को या उस निविदा के किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकती ।
- 30 जीव बेसिस पर (न्यूनतम दो कार्यक्रम) सकाई कार्य के अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जाये) पंजीकृत फर्म/यात्रियों द्वारा ही निविदायें मरी जायेगी । फर्म होने की दराए में पंजीकृतण की प्रति सर हस्ताक्षरित के साथ संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी ।

11/3/23
11/3/23

11/3/23
11/3/23

11/3/23
11/3/23



कार्यालयः राजकीय पॉलिटेक्निक महाविधालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist. Alwar (Rajasthan)

आजुदीका
अमृत महोत्पव

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

- 31 जब बेसिस पर कार्मिकों को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना/पहनना आवश्यक होगा।
- 32 कार्य संतोषपूर्ण नहीं होने की स्थिति में संस्था द्वारा सात दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकेगा।
- 33 जब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु संविदा पा लगाये गये कार्मिकों को संस्था समय से एक घटाघटा पूर्व सफाई का कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्यालय समय में भी उक्त कार्य करवाया जा सकेगा।
- 34 किसी अवसर विशेष यथा वार्षिकोत्सव या दूर्घातिश में अतिरिक्त कार्य समय में उपरिवास होना होगा।
- 35 बयान (बोली निम्न प्रतिश्वासी) राशि निम्न मामलों में जब कर लिया जायेगा :-
- (अ) निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को बापस लेता है या रूपान्तरण करता है।
 - (ब) निविदाता समय के भीतर विहित किसी कार्य को योगदान नहीं करता है।
 - (स) जब निविदाता प्रदायार्थी के लिये अदेश देने के बाद कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - (द) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6में विविरित बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्त्वनिया की सहिता के लिये उपबध का भंग करता है।

- 36 निविदा खोलते समय उत्पन्न हुए किसी भी विवाह की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्यात अंतिम होगा।
- 37 निविदादाता कार्मिकों को संबोधित जारी बेसिस/सर्विसेस पर कार्य के लिए श्रम विभाग के आदेशानुसार ही कार्य पर लगाएगा।
- 38 निविदादाता, कार्य संतोषपूर्ण नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध कराने के लिए श्रमिकों को लगाएगा उनके नाम व पठे मय दो फोटो एवं फिल्मेस प्राप्त जारीबैज़ (न्यूतन्म दो कार्मिक) पर सफाई कार्य हेतु श्रमिकों को सम्पादन प्रतिशुल्क राशि जाना नहीं करता है।
- 39 सवादेक द्वारा स्वयं के खर्च पर श्रमिकों को बूझारी द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावे उनके माह का मुगलान नहीं किया जायगा।
- 40 सवादेक द्वारा स्वयं के खर्च पर श्रमिकों को बूझारी द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अलावे उनके माह का मुगलान नहीं किया जायगा।
- 41 सवादेक का मासिक भुगतान संस्थाकार कार्य होने पर किया जायगा। कार्य सम्पादन के संतोषप्रद होने का मार्गदंड इस संस्थान के प्रायार्थी विविड़ बेटेसेज़ सेल द्वारा का होगा। अधिक शिकायत होने पर कटीती में लापायड़ी एवं श्रमिकों की जांच कर्तीती कर भुगतान किया जा सकता है। अधिक शिकायत होने पर कटीती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के संतोषप्रद होने या न होने के बारे में प्रधानाधार्य द्वारा लिया गया निर्यात अंतिम बार्ष द्वारा होगा। कार्य के अधिकारी असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसके बुखार न करने की स्थिति में प्रधानाधार्य द्वारा अन्य संविदा कार्मिकों को लगान करने का कार्य द्वारा लिया जायेगा। इस पर श्रीकृष्ण दर सं अधिक होने वाले भुगतान व्यवहार की सहित द्वारा वापसी करवाने होंगे।
- 42 सवादेक का अपनी उपरिवासी प्रधानाधार्य महोदय द्वारा निर्देशित कार्यालय में ड्यूटी पर आने व जाने के दोनों समय दें। सवादेक द्वारा लगाए गए संविदा पर जारी बैज़ (न्यूतन्म दो कार्मिक) पर सफाई कार्मिकों को दिया गया समाचार निर्धारित स्थान पर रखना होगा एवं निविदा समय पर उपरिवासी होकर कार्य को पूर्ण करना नियमित समय पर उपरिवास नहीं होने एवं सफाई कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उत्संघर्षीय कार्यशाली को अनुपस्थित भाना जायेगा तथा अनुपस्थित रहने की स्थिति में सौ रुपये की शारीर प्रति वर्षीय प्रतिशिविन प्रतिशिविन प्रतिशिविन प्रतिशिविन लगाई जायेगी। श्रमिकों के लिए दिये गए निदेशों की पूर्ण रूप से पलना करें। निर्देशों की होगी एवं वह उसके अधिकारी को उस पारी के लिए अनुपरिवासी भाना जायेगा। श्रमिकों का व्यवहार संस्थाकार द्वारा कार्यालय के आदेश पर उसे हटाकर दूसरी लगानी होगा। विविद़ी भी श्रमिक की डबल ड्यूटी सवादेक लेता है तो उसका भुगतान भी स्वयं सवादेक ही करेगा। इसमें संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 43 सवादेक की संविदा भानी के दोनों भानी पर कार्यालय सभी श्रमिकों की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दीरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी सवादेक की होगी।
- 44 निविदा प्रत्र में प्रपत्र के अनुसार दर अलग-अलग प्रत्युत्तम करनी होगी व निविदा न्यूतन्म दर पर स्वीकार की जायेगी। किन्तु यह निविदादाता का अधिकार नहीं होगा। घोषणावृगुण के आधार पर न्यूतन्म दर की निविदा के स्थान पर किसी उच्च राशि को रखीकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो साँदेक को मान देगा।
- 45 सवादेक की संविदा भानी के दोनों भानी पर कार्यालय सभी श्रमिकों की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दीरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी सवादेक की होगी।
- 46 सवादेक पर निविदा स्वीकृत होने के बाद जिसमें बढ़ी हुई अवधि भी समिलित होगी के लिए नियमित रूप से कार्य करना होगा। सवादेक द्वारा कार्य शीघ्र में छाड़ने पर अथवा शिकायतों के फलस्वरूप प्रधानाधार्य के द्वारा संविदा निरस्त किए जाने पर प्रतिशुल्क राशि जब कर ली जायेगी।
- 47 सवादेक के मासिक बिल से आयकर अधिनियम के तहत दो प्रतिशत राशि ली.टी.एस. बिल में से काटकर आयकर विभाग में इस कार्यालय द्वारा जाया कराया जायेगा।
- 48 सवादेक द्वारा लगाए गए संविदा पर जारी बैज़ (न्यूतन्म दो कार्मिक) पर सफाई कार्मिकों द्वारा कार्य न करने एवं यद्यवान उत्पन्न करने एवं धूमपान/गुटका/पान शराब इत्यादि का सेवन किए हुए पाये जाने पर/ अनेकातिक आवाहन एवं आपाविक एवं अपावित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी सवादेक की होगी एवं उस कार्मिक को सवादेक द्वारा तुरंत प्रगाढ़ से हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त कार्मिक से कार्य करवाना होगा।

B
11/3/23
N
11/3/23

11/3/23

11/3/23

R
11/3/23



कार्यालय: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura,Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

आजादी का
अमृत महोस्तव

- 48 संविदा पर जार्वे बेसिज पर लगाये कार्मिकों की सच्चाया दी है। जिसमें न्यूनतम एक माहिला होनी चाहिए लेकिन आवश्यकतानुसार प्रधानाधार्य द्वारा श्रमिकों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है जिसके लिए संबंदक को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त श्रमिकों को जार्वे बेसिस पर वो समस्त कार्य करने होंगे जो नियमित रूप से किया जावेगा।
- 49 संबंदक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में संविदा अवधि समाप्त कर प्रतिवार्ता राशि जब करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाधार्य को होगा। संबंदक को श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए नियम निर्देशों की पालना करना भी अनिवार्य होगा।
- 50 सफल संबंदक द्वारा संविदा पर जार्वे बेसिज पर सफाई कार्मिकों का मासिक विल प्रत्येक माह की सात तारीख तक विल पारित करने हेतु प्रधानाधार्य को प्रस्तुत करना होगा।
- 51 संबंदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से प्रतिवार्ता की 7 तारीख तक उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। संबंदित संबंदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंदित उपायन संस्थाय को आगामी माह के मासिक विल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपायन संस्थाय की संतुष्टि होने पर ही संबंदक को आगामी माह के विल का भुगतान किया जावेगा। चाहे इस कार्यालय से किसी भी कारण जैसे से संबंदक को देरी से सारित लगाई जाएगी।
- 52 नियिदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आधाहाताकरकार्ता को होगा। संविदा कार्य की अवधि एक वर्ष के लिये मात्र होगी। संतोषजनक कार्य होने पर अधिवि को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- 53 संबंदक द्वारा जार्वे बेसिज पर सफाई कार्मिक स्वत्संख्या दो तथा किसी प्रकार की विमारी से ग्रस्त नहीं हो इसके लिये डॉक्टर द्वारा नियोजित कर्मचारी का फिल्डस क्रमांक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 54 नियिदा से संबंदित सास्तर प्रकार के बाबत का न्याय क्षेत्र नीमराना होगा।
- 55 संस्था के निन्म स्थानों की सफाई कार्य (झांडू एवं पोछा) एवं जाल तालाना, खिड़की, दरवाजे प्रतिविन लाकर करने के अनुसार सर्वोच्च भवन को सेनिटाईज करने का कार्य।
- कार्यालय भवन, सभी बारातों की सम्पूर्ण सफाई (न्यू नलियन) तथा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा दी गयी कोविड -19 की गार्डलाईन के अनुसार सर्वोच्च भवन को सेनिटाईज करने का कार्य।
 - मुख्य भवन, सभी बारातों के दोनों को बोर्ड, सम्पूर्ण भवन के बरामदे, कक्षाएं, सभी प्रयोगशालायें, अधिकारियों के कमरे, सम्पूर्ण भवन की छत, यांत्रिक कार्यालय एवं सभी शीर्षालय।
 - छात्रावास भवन की सम्पूर्ण भवन मर छत।
 - भवन की दिवारों पर मधुमधिय के छतों को हताना।
 - अन्य सभी सफाई कार्य जैसे संस्थान प्रधान द्वारा बताये जाये।
- 56 सफाई कार्य हेतु नियांरित स्थान पर प्रतिविन जांच एवं पोछा लगाया जावें एवं समस्त टायलेस्ट की सफाई आवश्यक है। सफाई के लिए झांडू, वाइप, बालटी, सैनिटाईज करने हेतु एवं अन्य सफाई के सामान की व्यवस्था संबंदक को करनी होगी। इन कार्यों के लिए प्रतिविन देजाव, फिलाइल, बोर्ड बेसिन में फिनाइल की गोलियां, कोविड -19 के लिये सरकार द्वारा जारी की गई गार्डलाईन के अनुसार भवन को सेनिटाईज करने हेतु उपयोग में ली जाने वाले सभी सामान मय उपकरण आदि का उपयोग नियरानुसार करना होगा। उक्त सामग्री मय उपकरण नियिदा दाता द्वारा संख्या उपलब्ध करायी जावेगी एवं सफाई हेतु नियमित सामान का उपयोग नहीं करने पर भुगतान में से नियरानुसार काट ले जावेगा।
- 57 जोब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु नियोजित तकाई कर्मी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होगी।
- 58 नियोजित कर्मी द्वारा कोविड -19 (कोरोना) से बचाए हेतु आश्रयण सामग्री डेकेवर को उपलब्ध करायी होगी।
- 59 जॉब बेसिस पर (न्यूनतम दो) सफाई कार्मिक एवं आवश्यक सामान की न्यूनतम दर ही मान्य होती है। ऐसी स्थिति में जिस भी नियिदा दाता की जॉब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु कार्मिक की दर न्यूनतम आती है उसे सालाई किये जाने वाले सामान की अन्य नियिदा दाताओं द्वारा अकित न्यूनतम दर पर अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी जबकि जॉब बेसिस पर (न्यूनतम दो) सफाई कार्मिक एवं सामान दोनों ही एक ही नियिदा दाता द्वारा दिया जाकर सफाई कार्य करवाया सम्भव होगा। इसमें किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी द्वारा किया जाया संशोधन/निर्णय मान्य होगा।

नियिदा दाता के हस्ताक्षर

मय कर्म की सील

(Signature)
11/3/23

(Signature)
11/3/23

(Signature)
11/3/23

(Signature)
11/3/23



कार्यालय: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमर महोसूल

एस.आर.15

निविदा प्रपत्र

संस्थान में जोब बेसिस (न्यूनतम दो कार्मिक) पर सफाई कार्य हेतु निविदा

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना

(1) निविदा प्रस्तुत करने वाली कार्मी का नाम य डाक का पता.....

निविदा संख्या:- 01/2022-23

(2) सन्दर्भ- राष्ट्रीय / लेखा/ 2022-23/ द्रग्राम व नोबाइल नं.

दिनांक :-

(3) निविदा शुल्क की राशि रु. 200/- बैंकर चैक संख्या/ड्राप्ट संख्या/नगद

(4) बोलीदाता/संवेदक का विसिन पंजीकरण विवरण:-

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निविदा अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आय का (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम / सशोधन				

(5) संविदा पर जोब बेसिस पर सफाई कार्य की दस्ती के लिए दरें दरें निम्नानुसार होंगी :-

दर प्रतिमाह (26 दिवस) (जोब बेसिस पर न्यूनतम 5 घण्ट प्रतिदिन कार्य) :-

क्र. सं.	सेवा का नाम (जोब बेसिस पर ^(न्यूनतम दो कार्मिक) सफाई कार्य)	श्रमिकों को देय परिश्रमिक जो कि प्रवलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संस्था	सामग्री राशि/उपकरण किराया मय पूर्ण विवरण	सेवा प्रदाता का संशोधन चार्ज राशि	कुल राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			जोब बेसिस (न्यूनतम दो कार्मिक)					

- (6) बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि तथा बैंक का नाम जो कि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना के नाम देय संलग्न है।
 (7) आयकर, GST एवं कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र इत्यादि की छाया प्रति संलग्न है।
 (8) निविदा शर्त हस्ताक्षर सहित संलग्न है।
 (9) EPF एवं ESI की दरें प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित से नियमानुसार अतिरिक्त देय होंगी

निविदादाता/विडर की फोटो रव प्रमाणित
--

निविदादाता के हस्ताक्षर
कार्मी का नाम
पता
पैन नं.
GST No.

11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/23